


कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—: संशोधन आदेश :—

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 09.03.2018 द्वारा निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा इतिहास/वाणिज्य सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों में निम्नांकित कार्मिक के उनके सामने अंकित कॉलम सं. 5 में अंकितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन	आदेश क्रमांक व आवेदक की अंकित क्रम संख्या	संशोधन
1	2	4	5
1	रामदेव कासलीवाल, व्या0 इतिहास,राउमावि सराना-अजमेर	क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/सेनि0/ वाणि0-इति0/31583/2018-19	कार्मिक का नाम रामदेव के स्थान पर रामदेव कासलीवाल संशोधित पदा जावें।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत पढी जावें।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/सेवानिवृत्ति/वाणिज्य-इतिहास/2018
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक:- 28.6.18

1. उप शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)...
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओ.ए.सी. प्रभाग कार्यालय हाजा
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
7. निजी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर